तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
22-4-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया। वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील कार्यवाही दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

10/दावा/2018 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनाकं 26.02.2018 श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

कमलेश आ0 भैरूलाल जाति मीणा निवासी महादेव टेक के नीचे तम्बोली खाना लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

..वादी

बनाम

1 लक्ष्मीनारायण आ0 भैरूलाल जाति मीणा निवासी महादेव टेक के नीचे तम्बोली खाना लाखेरी तहसील इन्द्रगढत्र जिला बून्दी (राज0)

2 भॅवरी बाई बेवा भैरूलाल जाति मीणा निवासी महादेव टेक के नीचे तम्बोली खाना लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

3 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी ...प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र धारा 88,89 राज0 टिनेन्सी एक्ट व</u>

<u>धारा 136 राज0 लेन्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

निर्णय दिनांक 22.04.2021

वादी ने अर्न्तगत धारा 88,89 राज0 टिनेन्सी एक्ट व धारा 136 राज0 लेन्ड रेवेन्यू एक्ट में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 तक ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की खेवट खतौनी संख्या 469 पुरानी 458 की कृषि भूमि खसरा नं0 3982/2 रकबा 3.73 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 के नाम अंकित है।

वादी का वास्तविक नाम कमलेश है। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से वादी का नाम कमलेश के स्थान पर, रामकमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है। जो अवैध त्रुटि है। जिसको किसी भी समय न्यायालय द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। वादी का नाम सरकारी दस्तावेज में कमलेश आ0 भैरूलाल अंकित हो रहा है और वादी को उसके रिश्तेदार व लाखेरी शहर के लोग कमलेश के नाम से जानते एवं पहचानते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रामकमल के स्थान पर कमलेश दर्ज करने के लिए अनेक बार भूमिधारी तहसीलदार से निवेदन कर चुका है। लेकिन वादी के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया गया है। वादी ने अन्तिम बार प्रतिवादीगण से वादी का नाम रामकमल के स्थान पर कमलेश दर्ज किए जाने का निवेदन मौखिक रूप से नवम्बर 2017 के अन्तिम सप्ताह में किया गया, तो प्रतिवादी सं0 3 ने वादी से कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नही किया जा सकता है। यही वाद कारण हैं।

वादी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व न्यायालय में वाद पेश कर अपना नाम रामकमल के स्थान पर कमलेश दर्ज किये जाने का आदेश करावे, जबकि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को उक्त इन्द्राज करने से मना करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। और अन्त में निवेदन किया गया कि वाद वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजकमल के स्थान पर कमलेश आ0 भैरूलाल दर्ज किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 लगायत 2 बावजूद तामील सम्मन हाजिर नही आयें। उनके विरूद्व दिनांक 31.10.2018 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई जवाब दावा पेश नही किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श 1 पेश की गई तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, चुनाव वोटिंग सूची की छायाप्रति पेश की है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 पेश किया है।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा सही नाम कमलेश के स्थान पर सवहन से रामकमल दर्ज कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। और अन्त में निवेदन किया कि वादी का राजस्व रिकार्ड में रामकमल के स्थान पर कमलेश आ0 भैरूलाल दर्ज किए जाने की डिक्री फरमायी जावें।

हमारे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वादी का नाम रामकमल आ0 भैरूलाल दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, नगर पालिका चुनाव वोटिंग सूची में वादी का नाम कमलेश आ0 भैरूलाल दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य दस्तावेज को मध्यनजर रखते हुए वादी का वाद पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 खतौनी संख्या 469 पुरानी 458 की कृषि भूमि खसरा नं0 3982/2 रकबा 3.73 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम रामकमल आ0 भैरूलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रामकमल उर्फ कमलेश आ0 भैरूलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें। साथ ही रामकमल उर्फ कमलेश आ0 भैरूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................... मुकाम........................लाखेरी..............................
व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)..

कमलेश आ0 भैरूलाल जाति मीणा निवासी तम्बोल खाना लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ (वादी)

बनाम

1 लक्ष्मीनारायण आ0 भैरूलाल जाति मीणा निवासी तम्बोल खाना लाखेरी तहसील इन्द्रगढ. (वगैरह) (प्रतिवादीगण).

दावा बाबत 53 आर0 टी0 एक्ट एक्ट ....

मुकदमा नम्बर....................................10 / दावा / 2018...............................सन...................2018...............
.........यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........हमरे...व हाजिरी

.....श्री सुरेश कुमार एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दई रूबरू..................पैरोकार सरकार.............................
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 खतौनी संख्या 469 पुरानी 458 की कृषि भूमि खसरा नं0 3982/2 रकबा 3.73 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम रामकमल आ0 भैरूलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रामकमल उर्फ कमलेश आ0 भैरूलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें। साथ ही रामकमल उर्फ कमलेश आ0 भैरूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।...
.... निज...मुबलिग...बाबत..
..........खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......22......माह.. ..04... सन...
2021........................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर	ओहदा				
	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
मुद्दई			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
1.स्टाम्प अर्जीदावा			2.स्टाम्प अर्जी		
2.स्टाम्प वकालतनामा			3.महनताना वकील		
3.स्टाम्प वजह सबूत			4.खर्चा गवाहॅान		
4.महनताना वकील			5.फीस कमिश्नर		
5.खर्चा गवाहॅान			6.बा[illegible] हुक्मनामा		
6.फीस कमिश्नर			7.[illegible]		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा					
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकैन का [illegible] गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner